दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि : 15.04.2024

<u>नि.प्र.अ.(वाणि.) 88/2024, सि.वि. सं. 15109/2024, 15110/2024, 15112/2024, 15113/2024, 15114/2024 व 15116/2024</u>

जाबीर हुसैन मैसर्स हकीम होटल
के नाम से व्यापार कर रहे हैं ..... अपीलार्थी
द्वारा: श्री श्रवण बंसल और सुश्री साक्षी अग्रवाल, अधिवक्तागण

बनाम

अली असगर मैसर्स हकीम रेस्टोरेंट
के नाम से व्यापार कर रहे हैं ..... प्रत्यर्थी
द्वारा: श्री केशव वी.एच. और श्री मोहिंदर कुमार कुकरेजा, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बखरु
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

<u>न्या. विभू बखरु, (मौखिक)</u>

1. अपीलार्थी ने सि.वा.(वाणि.) सं. 831/2023 शीर्षक *जाबिर हुसैन मैसर्स हकीम होटल के नाम से व्यापार कर रहा है बनाम अली असगर मैसर्स हकीम रेस्टोरेंट के नाम से व्यापार कर रहा है,* में विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिनांक

09.11.2023 को पारित आदेश (इसके बाद आक्षेपित आदेश कहा जाएगा) पर आक्षेप करते हुए वर्तमान अपील दायर की है। आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने इस आधार पर वादपत्र को वापस कर दिया कि न्यायालय के पास वाद पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को उसके व्यापार चिह्न का उल्लंघन करने और उसे पासिंग ऑफ़ करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश की मांग करते हुए उपरोक्त वाद दायर किया है। अपीलार्थी पंजीकृत व्यापार चिह्न का स्वामी होने का दावा करता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

"व्यापार चिह्न	**आवेदन तिथि**	**आवेदन सं.**	**वर्ग**	**उपयोग विवरण**	**स्थिति**
	20.10.2014	2831551	43	1.4.1971	पंजीकृत (सुधार दाखिल किया गया)
	23.10.2018	3980920	30	1.4.1971	पंजीकृत (सुधार दाखिल किया गया)
	23.10.2018	3980919	29	1.4.1971	पंजीकृत (सुधार दाखिल किया गया)"

2. अपीलार्थी का मामला यह है कि प्रत्यर्थी उक्त व्यापार चिह्न का उल्लंघन और पासिंग ऑफ़ कर रहा है। अपीलार्थी का दावा है कि उसे पता चला है कि प्रत्यर्थी स्वयं उत्तर-पश्चिम दिल्ली में एक रेस्टोरेंट/फ्रेंचाइजी संचालित करने की योजना, विपणन और नेटवर्किंग कर रहा है और उपरोक्त उद्देश्यों के लिए वह सक्रिय रूप से पीतमपुरा, शालीमार बाग, सुल्तानपुरी, खेरा कलां, खेरा खुर्द, उत्तरी-पश्चिमी रोहिणी और उत्तरी रोहिणी में नेटवर्किंग कर रहा है।

3. प्रत्यर्थी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में "हकीम रेस्टोरेंट" के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला है। अपीलार्थी का दावा है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा प्राप्त अपार ख्याति को ध्यान में रखते हुए व्यापार चिह्न "हकीम रेस्टोरेंट" को अपनाया है।

4. अपीलार्थी का यह भी दावा है कि कोई भी ग्राहक दिल्ली से इंटरैक्टिव साइट का उपयोग करके प्रत्यर्थी के रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर सकता है। यह भी दावा किया कि अन्य खाद्य डिलीवरी सेवा प्रदाता भी प्रत्यर्थी के रेस्टोरेंट से पके हुए खाने की डिलीवरी के लिए ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं।

5. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने मामले की जाँच की कि क्या टेबल बुक करने या पके हुए खाने की डिलीवरी के लिए इंटरैक्टिव साइटें हैदराबाद शहर में संचालित रेस्टोरेंट के संबंध में वाद हेतुक बन सकती है और अभिनिर्धारित किया कि यह ***इम्प्रेसारियो एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड बनाम एस एंड डी हॉस्पिटैलिटीः तटस्थ उद्धरण 2023: डीएचसीः***

3919, में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा शामिल किया गया था। तदनुसार, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने अपीलार्थी के वादपत्र को वापस कर दिया।

6. यह सुस्थापित विधि है कि यह प्रश्न कि क्या किसी वादपत्र को प्रारम्भिक स्तर पर वापस किया जाना आवश्यक है, इसकी जाँच आपत्ति के आधार पर की जानी चाहिए, अर्थात वाद में किए गए सभी प्रकथनों को सही मानना चाहिए। ***एक्सफार एस.ए. और अन्य बनाम यूफार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड और अन्य: (2004) 3 एस.सी.सी. 688,*** में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया था

> "*9.* इसके अलावा, जब अधिकार क्षेत्र के लिए कोई आपत्ति विचारण में नहीं, बल्कि पूर्वापत्तिकर्ता के द्वारा उठाई जाती है, तो आपत्ति को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि आक्षेपित कार्यवाही के आरंभकर्ता द्वारा अभिवाक किए गए तथ्य सत्य हैं। सफल होने के लिए प्रस्तुतिकरण में यह दर्शाना जाना चाहिए कि इन तथ्यों को देखते हुए न्यायालय के पास विधि के अनुसार अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधिकार क्षेत्र के आधार पर किसी वादपत्र को अस्वीकार करते हुए, खंड न्यायपीठ को वादपत्र में निहित आरोपों को सही मानना चाहिए। हालांकि, खंड न्यायपीठ ने प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर लिखित बयान की जाँच की जिसमें यह दावा किया गया कि माल दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर बिल्कुल नहीं बेचा गया था और यह भी कि प्रत्यर्थी 2 दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसाय नहीं करता था..."

7. उपरोक्त सिद्धांत का लगातार पालन किया गया है। ***मैसर्स आर.एस.पी.एल. लिमिटेड बनाम मुकेश शर्मा और अन्य: 2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 4285,*** में न्यायालय ने इस मानक को दोहराया कि क्या

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद सि.प्र.सं. कहा जाएगा) के आदेश VII के नियम 10 के तहत किसी वादपत्र को वापस करना आवश्यक है, इस प्रश्न की जाँच वादपत्र और वादी द्वारा दायर दस्तावेजों के आधार पर और प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बचाव पर विचार किए बिना की जानी चाहिए।

8. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर की गई वादपत्र का उल्लेख करना प्रासंगिक है। उक्त वाद के पैराग्राफ 34 और 35 प्रासंगिक हैं और नीचे दिए गए हैं:

> "34. यह कि वर्तमान वाद के लिए वाद हेतुक पहली बार सितंबर, 2023 में सामने आया जब वादी को आक्षेपित चिह्नों के तहत प्रतिवादी के रेस्टोरेंट के मौजूदगी के बारे में पता चला। वाद हेतुक निरंतर है और तब तक बना रहेगा, जब तक कि प्रतिवादी को इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित व्यादेश के आदेश द्वारा हकीम/हकीम रेस्टोरेंट चिह्नों या किसी अन्य चिह्न का उपयोग करने से रोका नहीं जाता है, जो भ्रामक और भ्रमित रूप से वादी के चिह्नों हकीम होटल और हकीम फूड्स के समान है।
>
> 35. यह कि वाद हेतुक इस माननीय न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है क्योंकि प्रतिवादी विभिन्न तृतीय पक्ष ई-कॉमर्स वेबसाइट/पोर्टल/ऐप, अर्थात, जोमैटो, स्विगी आदि के द्वारा अपनी वस्तुओं/सेवाओं की पेशकश कर रहा है, जो कि इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं। प्रतिवादी ज़ोमैटो में इस प्रकार सूचीबद्ध है:...."

9. यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता ने विशेष रूप से अभिवाक दिया है कि उसे पता चला है कि प्रतिवादी स्वयं *"उत्तर-पश्चिम दिल्ली में एक रेस्टोरेंट/फ्रेंचाइजी संचालित करने के लिए आगे की योजना, विपणन और नेटवर्किंग कर रहा है और उत्तर-पश्चिम रोहिणी और उत्तर रोहिणी के भीतर आने वाले क्षेत्रों में सक्रिय रूप से नेटवर्किंग कर रहा है"* (जो कि, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर है)।

10. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी, "शेख अख्तर हुसैन" के हित-उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहा है,शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उसके पिता का नाम "हकीमुद्दीन" था और वह 1971 से "हकीम टी स्टॉल" के नाम से भोपाल मध्य प्रदेश में चाय की दुकान चला रहा है। उसी चाय की दुकान का नाम बाद में "हकीम फूड्स" रखा गया। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी का पूरा मामला यह है कि उसके हित-पूर्वाधिकारी शेख अख्तर हुसैन ने "हकीम फूड्स" के नाम से एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की थी, गलत है।

11. प्रत्यर्थी का यह भी मामला है कि अपीलार्थी द्वारा उसके पक्ष में संदर्भित व्यापार चिह्न पंजीकृत द्वारा नहीं हैं। उक्त व्यापार चिह्न पर आपत्ति है और इसे पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

12. अपीलार्थी की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बंसल ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि वादपत्र के पैराग्राफ 16 में उल्लिखित व्यापार चिह्न और जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत व्यापार चिह्न हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सुधार आवेदन दायर किए गए हैं, जो लंबित हैं लेकिन आज तक, अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए व्यापार चिह्न अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत हैं।

13. जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रत्यर्थी द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित बचाव को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण वादपत्र वापस करने की प्रारंभिक अवस्था पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह प्रश्न कि क्या सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के तहत वादपत्र को वापस करना आवश्यक है, इसकी जाँच केवल वादपत्र में किए गए प्रकथनों और वादी द्वारा दायर दस्तावेजों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

14. ***मैसर्स एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्राग डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य: 2017 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 7225,*** में इस न्यायालय की एक समन्वय न्यायपीठ ने वादपत्र वापस करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार किया। वादी ने प्रकथित किया कि प्रत्यर्थी ने पहले ही अपने उत्पाद को आंध्र प्रदेश राज्य लॉन्च कर दिया है। इस प्रकार, उस संबंध में वाद हेतुक पहले ही उत्पन्न हो चूका था। वादपत्र का विस्तार सत्ताईस पैराग्राफ से अधिक में था। मुख्य अभिवचनों में कोई प्रकथन नहीं थे,

जो इंगित करता कि किसी भी इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वाद हेतुक उत्पन्न हुआ था। हालाँकि, वाद हेतुक निर्धारित करने वाले पैराग्राफ में, वादी ने आशंका व्यक्त की कि प्रत्यर्थी दिल्ली में उत्पाद को लॉन्च करेगा। दिए गए तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "11. हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश से त्रुटि हुई है जब उन्होंने यह विचार रखा कि हालाँकि अपीलार्थी/वादी ने यह आशंका व्यक्त की थी कि प्रतिवादी दिल्ली में अपना उत्पाद बेचेंगे, लेकिन उक्त आशंका किसी भी ऐसी सामग्री से पुष्ट नहीं हुई जो वादी के लिए ऐसी आशंका के लिए उचित आधार दर्शाती हो। हम यह बता सकते हैं कि वादपत्र के किसी कथन की पुष्टि अन्य सामग्री द्वारा बाद में की जाएगी। वादपत्र दाखिल करने के चरण में, यह केवल प्रकथन ही है जो किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में किया जाना है। प्रमाणीकरण साक्ष्य का एक भाग है।
>
> 12. एक और त्रुटि, जो हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई थी, मामले पर विचार करने में थी जैसे कि यह या तो आंध्र प्रदेश में प्रतिवादीगण द्वारा चिह्न के उपयोग के संबंध में थी या यह दिल्ली के संबंध में एक *व्यादेश कार्रवाई* थी। वादपत्र को पढ़ने पर यह आभास होता है कि वाद सभी चोटों के लिए दायर किया गया था जो प्रतिवादीगण ने कथित रूप से वादी दी थी और उसे धमकी भी दी थी। पहला भाग आंध्र प्रदेश में विक्रय के साथ जुड़ा था और दूसरा भाग दिल्ली में विक्रय के खतरे से जुड़ा था। इसलिए, हम महसूस करते हैं कि जबकि विद्वान एकल न्यायाधीश यह टिप्पणी करने में सही थे कि वाद को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन साथ ही हम दिल्ली में हुए विक्रय के खतरे के परिणामस्वरूप वाद हेतुक के हिस्से के संबंध में वाद के पैराग्राफ 27 में किए गए प्रकथनों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया गया है कि इस तरह का खतरा अपने आप में वाद हेतुक बन सकता है, तो

> यह बड़े वाद हेतुक का भी हिस्सा बन सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है।
>
> 13. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि आपत्ति के आधार पर वादपत्र पर विचार करते हुए, संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत आवेदन पर विचार करने के उद्देश्यों के लिए यह स्वीकार करना ही होगा कि वादी का आसन्न और विश्वसनीय खतरे या आशंका का प्रकथन कि प्रतिवादीगण दिल्ली में उत्पाद लॉन्च करेंगे, सही है।"

15. हमारे विचार में, उक्त निर्णय वर्तमान मामले में शामिल विवाद को पूरी तरह से शामिल करता है। अपीलार्थी की कार्रवाई भी एक व्यादेश कार्रवाई है क्योंकि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने व्यापार चिह्नों का उल्लंघन करने से रोकना चाहता है।

16. वादपत्र के पैराग्राफ 35 में किए गए प्रकथन स्पष्ट रूप से अपीलार्थी की आशंका को व्यक्त करते हैं कि प्रत्यर्थी विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर फ्रेंचाइजी के आधार पर रेस्टोरेंट खोलेगा।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जा सकता है।

18. निष्कर्ष निकालने से पहले, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि इस उद्देश्य के लिए सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 10 के अनुसार, केवल वादपत्र में किए गए प्रकथनों की ही जाँच करना आवश्यक है। सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत अंतरिम राहत के लिए विचारार्थ आवेदन या

सि.प्र.सं. के आदेश XIIIक के तहत आवेदन केवल वादपत्र में किए गए प्रकथनों तक ही सीमित नहीं है।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी पक्षकारगण के अधिकार और प्रतिविरोध सुरक्षित हैं। वाद विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष बहाल किया जाता है।

20. अपीलार्थी आगे की कार्यवाही के लिए 06.05.2024 को विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

न्या. विभू बखरु,

न्या. तारा वितस्ता गंजू,

15 अप्रैल, 2024
'जी.एस.आर.'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*